

राजस्थान सरकार
राजस्थान-6० विभाग

प्र० क्र :- १४ २१५ राज-६०५ /२४

जयपुर, दिनांक :- २०. १०. २००५

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ द्वारा १९५६ का राजस्थान अधिनियम नं० १५४ को धारा ८९ और १०२ के साथ प्रतिक्रिया धारा २६। को उपधारा २५ के छाड़ ४५ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य तंत्राकार, राजस्थान '३० राजस्व प्राप्ति छार तथा सज्जो उत्पादन क्षेत्रों का पटटा १५ स्वामी नियम, १९६४ को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संभिप्त नाम और प्रारम्भ-१५१५ स्व नियमों का नाम राजस्थान भू राजस्व

प्राप्ति छार, सज्जो उत्पादन क्षेत्रों का पटटा १५ स्वामी नियम, २००५ है।

१५२ ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२ अमूल्यो-१ में स्वामी-१५१५ स्व नियमों का नाम राजस्थान भू राजस्व से प्राप्ति नया अमूल्यो-१५१५ नियमानुसार जोड़ा जायेगा :-

" १५१५ से छोड़ो नामदारी नीगौ र"

राज्य पाल की आज्ञा से

उप शासन सचिव
२०/१०/०५

इतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्रायक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. निजो सचिव, मुख्यमंत्रीजी/राजस्व मंत्री जो
२. निजो सचिव, मुख्य सचिव।
३. निजो सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
४. समस्त जिला कलेस्टर, राज०।
५. समस्त सीमांगीय आयुक्त, राज०।
६. निवृद्धक, राजस्व मण्डल, उज्मेर।
७. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
८. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
९. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना राज० राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक २०. १०.०५ में प्रकाशनार्थ।
१०. रक्षित पत्रावलो।

उप शासन सचिव
२०/१०/०५